संख्या 190 /XXIV(9)/रा०से०यो०/157(07)
ई–मेल : nssslo11@gmail.com

प्रेषक,

राज्य एन.एस.एस. अधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ
निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रारद विभाग देहरादून।

सेवा मे,

कुलसचिव,
COER यूनिवर्सिटी
रूडकी, हरिद्वार।

राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ (युवा कल्याण विभाग) देहरादून दिनांक 27 सितम्बर, 2024

विषयः विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्ववित्त पोषित इकाई की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या CU/RO(3)/1037/2023 दिनांक 27 नवम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्ववित्त पोषित इकाई के संचालन के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया गया है।

उक्त के क्रम में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के दिशनिर्देशों के अनुपालन में प्रकोष्ठ स्तर पर प्रस्ताव का अवलोकन करने के उपरान्त क्षेत्रीय निदेशक भारत सरकार की सहमति के उपरान्त विश्वविद्यालय को वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्ववित्त पोषित की 01 यूनिट (100 संख्या) देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार प्रकोष्ठ के अन्तर्गत आवंटित किये जाने की स्वीकृति सशर्त प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय को प्रारम्भ में 01 वर्ष (2024–25) हेतु छात्र संख्या आवंटित की जा रही है।
2. संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए प्रति इकाई 100 स्वयंसेवियों पर एक कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी, एवं उसकी सूचना सम्बन्धित प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराई जायेगी।
3. शिक्षण संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों में इच्छुक छात्र–छात्राओं का पंजीकरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार किया जायेगा, प्रत्येक छात्र–छात्रा को निर्धारित प्रपत्रानुसार आवेदन करना अनिवार्य होगा।
4. निर्धारित वार्षिक पंचांग/कार्ययोजना में उल्लिखित कार्यक्रमों का समयान्तर्गत आयोजन कर सूचना निर्धारित प्रारूपों पर एन०एस०एस प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराई जाएगी।
5. इकाईयों द्वारा भारत सरकार राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय/प्रकोष्ठ द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश का शत प्रतिशत पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
6. नियमित शिविर के अन्तर्गत एक स्वयंसेवी को वर्ष में कम से कम 120 घण्टे कार्य करना अनिवार्य है, इसके अन्तर्गत अनिवार्य रूप से कार्य–योजना के अनुरूप 05 एकदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।
7. इकाई द्वारा संपादित गतिविधियों की जानकारी एवं विशेष शिविर आयोजन संबंधी पूर्व सूचना समय से कार्यक्रम समन्वयक, राज्य प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जायेगा।

Sunaina

स्ववित्त पोषित इकाई के संचालन हेतु मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश, वार्षिक कार्य–योजना के प्रति आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है, साथ ही यूनिट संचालन में किसी भी प्रकार की सहायता हेतु कार्यक्रम समन्वयक, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। भारत सरकार/राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित यूनिटों की भाँति अवसर संबंधित इकाई/स्वयंसेवकों को प्रदान किए जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में किए गये कार्यो के मूल्यांकन के आधार पर ही विश्वविद्यालय को पुनः यूनिट आवंटित की जायेगी, एन0एस0एस0 इकाई द्वारा वार्षिक आख्या संतोषजनक न होने की स्थिति में यूनिट समाप्त की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विश्वविद्यालय की होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई संचालन हेतु उपरोक्त दिशानिर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न– उक्तवत्

भवदीय

Sunaina

(डॉ0 सुनैना रावत)
राज्य एन.एस.एस. अधिकारी

संख्या– (1)/XXIV(9)/रा0से0यो 157 (07) तद्दिनांक
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ प्रेषित।

1. क्षेत्रीय निदेशक, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय क्षेत्रीय निदेशालय भारत सरकार।
2. कार्यक्रम समन्वयक, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार।

राज्य एन.एस.एस. अधिकारी